Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

अक्तूबर (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- गैंग चार्ट अनुमोदन में लापरवाही 3
- UP ने नए विश्वविद्यालयों और रोज़गारों को मंज़ूरी दी 4
- उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 'गरीबी शून्य' करना 5
- उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया 5
- "रेडियो मैन ऑफ इंडिया" ने बनाया रिकॉर्ड 6
- UP अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो, 2024 7
- कुंभ शिखर कुंभ शिखर सम्मेलन 2024 सम्मेलन 2024 7
- पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में 'शुगरकेन टाइगर्स' 8
- UP उपचुनाव 2024 9
- सखी निवास छात्रावास 10
- उत्तर प्रदेश में नवमी पर सार्वजनिक अवकाश 11
- उत्तर प्रदेश सरकार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर यात्रियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाएगी 12
- उत्तर प्रदेश ने ग्रैंड प्रिक्स से स्ट्रीट रेस को समाप्त कर दिया 13
- खाद्य सुरक्षा और संदूषण पर उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश 14
- PM वाराणसी में खेल सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे 15
- काशी स्वास्थ्य सेवा के बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा 16
- न्यू नोएडा विकास योजना 17
- उत्तर प्रदेश में आर्थिक नेतृत्व की राह 18
- ग्रीन अयोध्या फंड पहल 19
- अयोध्या दीपोत्सव 2024 20

नोट :

उत्तर प्रदेश

गैंग चार्ट अनुमोदन में लापरवाही

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** को **उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 2021** का उल्लंघन करते हुए उचित औचित्य के बिना गैंग चार्ट को मंजूरी देने में लापरवाही के लिये अमरोहा के **ज़िला मजिस्ट्रेट** को स्थानांतरित करने के बारे में सूचित किया।

मुख्य बिंदु

- **मामले की पृष्ठभूमि:**
  - यह मामला **उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1)** के तहत उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिये दायर एक रिट याचिका से उत्पन्न हुआ ।
  - याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि न तो पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police-SP) और न ही अमरोहा के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) ने गैंग चार्ट को मंजूरी देते समय संतुष्टि दर्ज की।
  - **गैंग चार्ट** एक दस्तावेज़ है जिसमें **उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986** से संबंधित मामलों में अभियुक्त के आपराधिक इतिहास और अन्य प्रासंगिक जानकारी का विवरण होता है।
- **उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:**
  - **न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला** और **न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल** की पीठ ने कहा कि SP-अमरोहा एवं DM-अमरोहा ने गैंग चार्ट तैयार करते समय संतुष्टि दर्ज नहीं की, जैसा कि **2021 नियमावली के नियम 16(2)** के तहत अपेक्षित है।
  - इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट की कार्यवाही 2021 के नियमों और **सन्नी मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले** में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों दोनों के विपरीत थी।
  - न्यायालय ने इसे **"सरासर लापरवाही"** करार दिया तथा अमरोहा में भी इसी प्रकार के मामले सामने आए, जहाँ अधिकारियों ने नियमों के अनुसार गैंग चार्ट ठीक से तैयार नहीं किया था।
- **न्यायालय का अंतिम निर्णय:**
  - न्यायालय ने अधिकारियों के खिलाफ सीधी कार्यवाही करने से परहेज किया और निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया।

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

- **उद्देश्य:** गिरोह-संबंधी एवं असामाजिक गतिविधियों को रोकना।
- **कार्यक्षेत्र:** संगठित अपराध, हिंसक अपराधों या आदतन अपराधियों में शामिल व्यक्तियों को लक्षित करता है।
- **प्रावधान:**
  - विधिक शब्दों में "गिरोह" और "गैंगस्टर" को परिभाषित करता है।
  - यह प्राधिकारियों को संदिग्धों को हिरासत में लेने सहित निवारक कार्यवाही करने की अनुमति देता है।
  - आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों की कुर्की की अनुमति देता है।
  - यह अधिनियम ज़िला मजिस्ट्रेटों और पुलिस को गैंग चार्ट (किसी व्यक्ति की गैंग-संबंधी गतिविधियों का औपचारिक रिकॉर्ड) को मंजूरी देने का अधिकार देता है।

नोट :

उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 2021

- **उद्देश्य:** उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **संतुष्टि दर्ज करना:** सक्षम प्राधिकारी, आमतौर पर ज़िला मजिस्ट्रेट, को गैंग चार्ट को अग्रेषित और अनुमोदित करते समय संतुष्टि दर्ज करनी चाहिये।
  - **संयुक्त बैठकें:** गैंग चार्ट को मंज़ूरी देने से पहले पुलिस अधीक्षक और ज़िला मजिस्ट्रेट के बीच संयुक्त बैठकें अनिवार्य हैं।
  - **उचित प्रक्रिया:** यह सुनिश्चित करने के लिये प्रक्रियागत दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट करता है कि गैंग चार्ट पूरी तरह से तैयार किया जाए और ठोस साक्ष्य पर आधारित हो।

UP ने नए विश्वविद्यालयों और रोज़गारों को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने **शिक्षा** की गुणवत्ता में सुधार और **रोज़गार** के अवसरों को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण **नीतियों एवं पहलों** को स्वीकृति दी है।

मुख्य बिंदु

- **नीति अनुमोदन:**
  - शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये कैबिनेट द्वारा **'उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024'** को मंज़ूरी दी गई ।
  - इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:
    - स्टाम्प ड्यूटी में छूट
    - पूंजीगत सब्सिडी
    - प्रायोजक निकायों के लिये विशेष प्रोत्साहन
    - शीर्ष 50 रैंक वाले विश्वविद्यालयों के लिये अतिरिक्त लाभ
- **नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना:**
  - दो नये निजी विश्वविद्यालयों को मंज़ूरी दी गई:
    - **राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मथुरा** में **के.डी. विश्वविद्यालय** की स्थापना की जाएगी ।
    - **विद्या बाल मंडली द्वारा मेरठ** में **42.755 एकड़ परिसर** में **विद्या विश्वविद्यालय की** स्थापना की जाएगी ।
- **उच्च शिक्षा पर प्रभाव:**
  - इसका उद्देश्य स्थानीय उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूर्ण करने के लिये निजी निवेश को बढ़ाना है।
  - उत्तर प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच प्रदान करता है।
  - इससे युवाओं के लिये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोज़गार के अवसर उत्पन्न होने की आशा है।
- **स्वरोज़गार योजना:**
  - स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिये नई योजना शुरू की गई:
    - सूक्ष्म उद्यमों और सेवा क्षेत्र में **परियोजनाओं के लिये 5 लाख रूपए तक के ऋण** पर सब्सिडी ।
    - **10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयाँ** स्थापित करने का लक्ष्य।
    - **प्रतिवर्ष 1 लाख शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं** को सहायता।
  - **पात्रता और फोकस/केंद्र:**
    - आवेदकों के लिये आवश्यक है कि उन्होंने कम से कम **आठवीं कक्षा तक की शिक्षा** प्राप्त की हो।
    - **इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा** वालों को प्राथमिकता।
    - इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में **रोज़गार को बढ़ावा देना है।**

नोट :

उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 'गरीबी शून्य' करना

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश को **शून्य गरीबी** प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनाने के लिये एक अभियान की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- **अभियान का उद्देश्य:**
  - प्रत्येक **ग्राम पंचायत** में सबसे गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिये सहायता प्रदान करना।
  - परिवारों को निम्नलिखित मामलों में सहायता मिलेगी:
    - भोजन और वस्त्र
    - गुणवत्ता की शिक्षा
    - स्वास्थ्य सेवाएँ
    - आवास सुविधाएँ
    - स्थिर आय स्रोत
- **परिवार पहचान प्रक्रिया:**
  - त्रिस्तरीय पारदर्शी चयन पद्धति का उपयोग करते हुए **प्रति ग्राम पंचायत** सबसे गरीब 10-25 परिवारों को लक्ष्य करना :
    - **स्तर 1:** बेघरता, भूमिहीनता, दैनिक मज़दूरी पर निर्भरता और संसाधनों की कमी जैसे मानदंडों के आधार पर **'मॉप-अप' मोबाइल ऐप** के माध्यम से पहचान।
    - **स्तर 2: पाँच सदस्यों (ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, स्थानीय स्कूल प्रधानाध्यापक और स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि) वाली ग्राम स्तरीय समिति** का गठन।
    - **स्तर 3:** समिति की सिफारिशों के बाद परिवारों को डिजिटल प्रणाली के माध्यम से स्वचालित भेद्यता रेटिंग प्राप्त होती है।
- **सरकारी योजनाओं का लाभ:**
  - पात्र परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुँच प्राप्त होगी, जिनमें शामिल हैं:
    - **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग** से राशन कार्ड एवं खाद्य आपूर्ति।
    - **प्रधानमंत्री आवास योजना** जैसी आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभ।
    - शैक्षिक सहायता जैसे स्कूल में प्रवेश और यूनिफॉर्म।
    - **आयुष्मान भारत बीमा** और अन्य स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं।
  - **श्रम विभाग, मनरेगा (MNREGA), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** एवं अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण।
  - कौशल विकास पहल और रोज़गार लाभ तक पहुँच।
  - पहचाने गए परिवारों के लिये अनुकूलित सतत् आय योजनाएँ विकसित करने के लिये शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग करना।
  - **जीरो पॉवर्टी पोर्टल (ZeroPoverty.in)** को कुशल डेटा प्रबंधन और राशन कार्ड की आवश्यकता वाले परिवारों के लिये सहायता हेतु **फैमिली ID पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा ।**

उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में **नवीकरणीय ऊर्जा** के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये महत्त्वपूर्ण **सौर ऊर्जा** परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

नोट :

मुख्य बिंदु

- **सौर पार्कों की स्वीकृति:**
  - नई ऊर्जा नीति के तहत बुंदेलखंड में सोलर पार्कों के विकास को मंज़ूरी ।
  - दो प्रमुख सौर परियोजनाएँ **1,500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विस्तारित होंगी।**
  - इसकी अपेक्षित क्षमता 450 मेगावाट है, जो इसे भारत के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक बनाती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य:**
  - **वर्ष 2026-2027 तक उत्तर प्रदेश के सौर ऊर्जा उत्पादन को 22,000 मेगावाट** तक पहुँचाने के लक्ष्य में योगदान देता है ।
- **वर्तमान सौर क्षमता:**
  - अगस्त 2024 तक, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल **3,280.15 मेगावाट सौर PV क्षमता** स्थापित की है, जिसमें शामिल हैं:
    - **उपयोगिता-स्तरीय परियोजनाओं से** लगभग 2,965.12 मेगावाट।
    - **छतों पर सौर ऊर्जा (Solar Rooftop) स्थापित करने** से **260 मेगावाट** से अधिक।
    - ऑफ-ग्रिड सौर और **कुसुम परियोजनाओं** से लगभग 315 मेगावाट **(नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** के आँकड़ों के अनुसार)।

"रेडियो मैन ऑफ इंडिया" ने बनाया रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश के **राम सिंह बौद्ध ने** रेडियो की विरासत को संरक्षित करते हुए अपने अद्वितीय **रेडियो** संग्रह के साथ **गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड** बनाया।

मुख्य बिंदु

- **विश्व रिकॉर्ड रेडियो संग्रह :**
  - **"भारत के रेडियो मैन "** के नाम से प्रसिद्ध राम सिंह बौद्ध ने **1920 के दशक से लेकर 2010 तक के** 1,257 अद्वितीय रेडियो का संग्रह एकत्र किया है।
  - उनके संग्रह ने **एम. प्रकाश के 625 रेडियो** के पिछले विश्व रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया।
- **प्रधानमंत्री द्वारा मान्यता:**
  - रेडियो की विरासत को संरक्षित करने के लिये बौध के जुनून को राष्ट्रीय मान्यता तब मिली जब प्रधानमंत्री ने नवंबर 2023 में **मन की बात** रेडियो कार्यक्रम के दौरान उनका उल्लेख किया।
  - प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो को प्रासंगिक बनाए रखने के लिये बौध के समर्पण पर प्रकाश डाला तथा कहा कि उनके प्रयासों से उनके संग्रह के बारे में जिज्ञासा बढ़ी है।
  - प्रधानमंत्री ने माना कि **मन की बात** ने रेडियो और **आकाशवाणी (All India Radio)** के प्रति रुचि को पुनर्जीवित किया है, जिससे ये कई घरों में एक बार फिर लोकप्रिय हो गए हैं।

रेडियो स्पेक्ट्रम

- रेडियो स्पेक्ट्रम (जिसे **रेडियो फ्रीक्वेंसी या RF के रूप में भी जाना जाता है**) विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, इस आवृत्ति रेंज में **विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो** आवृत्ति बैंड या बस **'रेडियो तरंगें'** कहा जाता है।
- विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। इनकी खोज **हेनरिक हर्ट्ज़ ने 1880 के दशक के अंत में की थी।**
- RF बैंड **30 kHz और 300 GHz** के बीच की सीमा में विस्तारित हैं (वैकल्पिक दृष्टिकोण 3 KHz – 300 GHz की कवरेज प्रदान करता है)।

नोट :

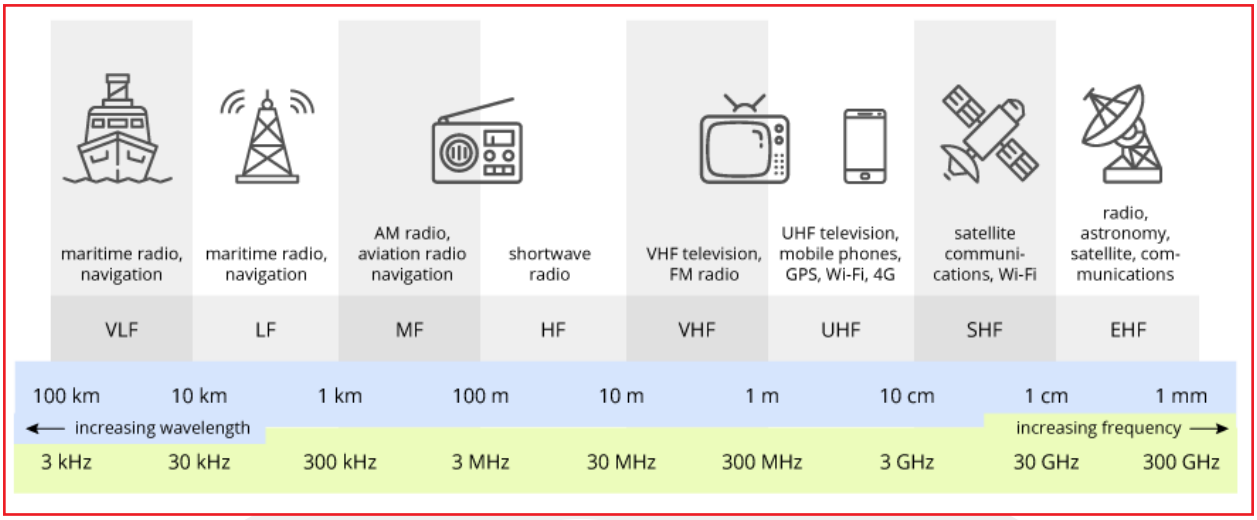

UP अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो, 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **MSME**, **ODOP** और **GI उत्पादों** पर ज़ोर देते हुए, वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश की बढ़ती स्थिति को बढ़ावा देने हेतु **UP इंटरनेशनल ट्रेड शो, 2024 का शुभारंभ किया गया।**

मुख्य बिंदु

- **उत्तर प्रदेश के विकास का प्रदर्शन:**
  - UP इंटरनेशनल ट्रेड शो, 2024 का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को भारत में एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में प्रस्तुत करना है।
  - राज्य ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में एक **ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था** प्राप्त करने का उद्देश्य निर्धारित किया है।
  - इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में साझेदार देश **वियतनाम है।**
  - यह शो UP के व्यवसाय, वाणिज्य, शिल्प, संस्कृति, भोजन और नवाचार पर प्रकाश डालता है।
- **MSME और आर्थिक विकास पर ध्यान:**
  - यह व्यापार मेला **MSME, भौगोलिक संकेत (GI) उत्पादों और एक ज़िला, एक उत्पाद (ODOP) योजनाओं को बढ़ावा देता है।**
  - यह उद्यमों को वैश्विक स्तर पर अपनी पहुँच प्रदर्शित करने और उसका विस्तार करने के लिये एक मंच प्रदान करता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
  - इसमें सरकारी और निजी **दोनों क्षेत्रों की प्रोत्साहन योजनाओं और पहलों को भी शामिल किया गया है।**
- **मील के पत्थर और उपलब्धियाँ:**
  - उद्घाटन संस्करण **(21 - 25 सितंबर, 2023) ने** 60 से अधिक देशों के विदेशी खरीदारों को आकर्षित किया।
  - भारत की माननीय राष्ट्रपति **श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा** मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया।

कुंभ शिखर कुंभ शिखर सम्मेलन 2024 सम्मेलन 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने **महाकुंभ** 2025 की तैयारी के लिये राज्य के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक शृंखला आरंभ की है।

नोट :

मुख्य बिंदु

- **कुंभ शिखर सम्मेलन कार्यक्रम:**
  - **महाकुंभ** 2025 की प्रस्तावना के रूप में उत्तर प्रदेश की 18 तहसीलों में इसका शुभारंभ किया जाएगा।
  - आयोजनों में **"कुंभ अभिनंदन"** रोड शो, **बाल-युवा कुंभ, कला-संस्कृति कुंभ, कवि कुंभ और भक्ति कुंभ शामिल हैं।**
  - इन सांस्कृतिक आयोजनों में विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे।
  - सांस्कृतिक अकादमियाँ, जैसे कि **ललित कला अकादमी** और **संगीत नाटक अकादमी**, प्रतियोगिताओं के आयोजन का कार्य संभालती हैं।
  - **'शून्य प्लास्टिक उपयोग'** जैसी पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और सुरक्षा के लिये **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करना।
  - 700 इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से परिवहन सुनिश्चित करना तथा त्योहार के चरम दिनों के दौरान श्रद्धालुओं के लिये सुगम्यता बढ़ाना।
  - महाकुंभ के आयोजन के लिये सभी आवश्यक सुविधाओं को तैयार करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2024 निर्धारित की गई है।

महाकुंभ

- कुंभ मेला **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची** के अंतर्गत आता है।
- यह पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान श्रद्धालु **पवित्र नदी** में स्नान या डुबकी लगाते हैं।
- यह **नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शिप्रा/ क्षिप्रा नदी, हरिद्वार में गंगा** और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक **सरस्वती नदी** के संगम पर होता है। इस मेल को 'संगम' कहा जाता है।
- चूँकि यह भारत के चार अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाता है, इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जिससे यह सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण त्योहार बन जाता है।
- एक महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस मेले में एक विशाल तंबूनुमा बस्ती का निर्माण किया जाता है, जिसमें झोपड़ियाँ, मंच, नागरिक सुविधाएँ, प्रशासनिक और सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं।
- इसका आयोजन सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों और पुलिस द्वारा अत्यंत कुशलतापूर्वक किया जाता है।
- यह मेला विशेष रूप से जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं के सुदूर स्थानों से आए **धार्मिक तपस्वियों की असाधारण उपस्थिति के लिये प्रसिद्ध है।**

पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में 'शुगरकेन टाइगर्स'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पीलीभीत के गन्ने के खेतों से 10 से अधिक **बाघ** रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिससे शिकार या पलायन की आशंका बढ़ गई है।

प्रमुख बिंदु

- **'शुगरकेन टाइगर्स':**
  - 'शुगरकेन टाइगर्स' शब्द का प्रयोग उन बाघों के लिये किया जाता है जो वन क्षेत्रों के बजाय गन्ने के खेतों में रहते हैं।
  - ये क्षेत्र घने आवरण और शिकार प्रदान करते हैं, जिससे वनों के समान आवास का निर्माण होता है।
  - उत्तर प्रदेश में पीलीभीत ऐसे बाघों के लिये जाना जाता है, क्योंकि घटते वन क्षेत्र और बाघों के आवासों में मानव अतिक्रमण के कारण गन्ने के खेत बाघों को आश्रय प्रदान करते हैं।
- **पीलीभीत टाइगर रिज़र्व:**
  - यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहाँपुर ज़िले में स्थित है।

नोट :

- इसे वर्ष 2014 में **टाइगर रिज़र्व** के रूप में अधिसूचित किया गया था।
  - वर्ष 2020 में, इसने पिछले चार वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिये **अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2** जीता।
- यह **ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क परिदृश्य** का हिस्सा है।
- रिज़र्व का उत्तरी किनारा भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और खकरा नदियों द्वारा चिह्नित है।

- **वनस्पति और जीव:**
  - यह 127 से अधिक जानवरों, 326 पक्षी प्रजातियों और 2,100 फूल वाले पौधों का निवास स्थान है।
  - वन्यजीवों में बाघ, **स्वैंप डियर**, **बंगाल फ्लोरिकन**, **तेंदुआ** आदि शामिल हैं।
  - इसमें विभिन्न जल निकायों के साथ ऊँचे **साल के वन**, बागान और घास के मैदान हैं।

UP उपचुनाव 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में **उपचुनाव** की तैयारी चल रही है।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
  - उपचुनाव, जिसे **उप-चुनाव या विशेष चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, भारत के विधायी निकायों में रिक्त सीटों को भरने** के लिये आयोजित **चुनावों** को संदर्भित करता है।
  - यह **व्यापक चुनावी चक्र के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण घटक** के रूप में कार्य करता है तथा **अप्रत्याशित रिक्तियों को संबोधित** करके नियमित चुनावों का पूरक बनता है।
- **उद्देश्य:**
  - उपचुनावों का प्राथमिक उद्देश्य **रिक्त सीटों के लिये समय पर नामांकन सुनिश्चित करना** है, ताकि **प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र या ज़िले का विधानमंडल में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित** हो सके।
- **आयोजन:**
  - उपचुनाव तब आयोजित किये जाते हैं जब विधानमंडल में कोई सीट किसी मौजूदा **सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, अयोग्यता या निष्कासन जैसे कारणों से रिक्त** हो जाती है।
- **निर्धारित समय - सीमा:**
  - **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की धारा 151A के तहत निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों में आकस्मिक रिक्तियों को रिक्ति होने की तिथि से **छह माह के भीतर उपचुनावों के माध्यम से भरने का अधिकार दिया गया है,** बशर्ते कि रिक्ति के संबंध में **सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष या उससे अधिक हो।**
  - इसलिये, **यदि लोक सभा का शेष कार्यकाल रिक्तियों की तिथि से एक वर्ष से कम है, तो उप-चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं** है।
- **प्रभाव:**
  - **राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव:** उप-चुनाव प्राय: **राजनीतिक दलों और उनकी लोकप्रियता के लिये एक कसौटी के रूप में काम** करते हैं।
    - वे दलों को **जनता की भावना को समझने तथा अपने समर्थन आधार का आकलन** करने का अवसर प्रदान करते हैं।
  - **सरकार के बहुमत पर प्रभाव:** उपचुनाव के परिणाम सत्तारूढ़ सरकार के बहुमत को प्रभावित कर सकते हैं।
    - यदि **सत्तारूढ़ दल उपचुनावों में बड़ी संख्या में सीटें हार जाती है, तो इससे विधानमंडल में उसका बहुमत समाप्त हो सकता है,** जिसका असर सरकार की स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ सकता है।

नोट :

- **चुनावी रणनीतियों का परीक्षण:** उप-चुनाव राजनीतिक दलों को **अपनी चुनावी रणनीतियों का परीक्षण करने तथा अपने अभियान के तरीकों को बेहतर बनाने** का अवसर प्रदान करते हैं।
  - दल **उपचुनावों के दौरान उम्मीदवारों के चयन, अभियान के विषय और संदेश के साथ प्रयोग** कर सकते हैं, जो बाद के चुनावों में उनकी रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है।

सखी निवास छात्रावास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने **मिशन शक्ति पहल** का एक नया चरण शुरू किया, जिसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिये सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है।

प्रमुख बिंदु

- **मिशन शक्ति 5.0** के अंतर्गत अक्तूबर 2024 तक वाराणसी, लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में 18 नए **सखी निवास छात्रावास** खोले जाएंगे।
- यह कार्यक्रम कामकाजी महिलाओं के लिये कार्यस्थलों के निकट सुरक्षित, किफायती आवास उपलब्ध कराता है।
  - प्रत्येक छात्रावास में 50 महिलाएँ रह सकेंगी, तथा विवाहित महिलाएँ अपने बच्चों (बेटियों के लिये 18 वर्ष तक, बेटों के लिये 12 वर्ष तक) को अपने साथ रख सकेंगी।
- केन्द्र और राज्य सरकारें इस परियोजना का संयुक्त वित्तपोषण करती हैं।
- **"नारी शक्ति 5.0"** उत्तर प्रदेश सरकार का एक अभियान है।
  - इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाना है।

मिशन शक्ति

- **परिचय:** मिशन शक्ति **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** की एक योजना है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिये हस्तक्षेप को मज़बूत करना है।
  - यह **जीवन-चक्र सातत्य के आधार** पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करके और अभिसरण एवं नागरिक-स्वामित्व के माध्यम से उन्हें राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाकर **"महिला-नेतृत्व वाले विकास"** के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करने का प्रयास करता है।
- **उप-योजनाएँ:** इसमें दो उप-योजनाएँ हैं - **'संबल'** और **'सामर्थ्य'।** "संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिये है, जबकि "सामर्थ्य" उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये है।
  - **संबल:**
    - 'संबल' उप-योजना के घटकों में **वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला हेल्पलाइन (WHL), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)** की पूर्ववर्ती योजनाएँ शामिल हैं, जिनमें नारी अदालतों (Nari Adalats) का एक नया घटक शामिल है - समाज और परिवारों में वैकल्पिक विवाद समाधान और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिये महिला समूह।
  - **सामर्थ्य:**
    - सामर्थ्य उप-योजना के घटकों में **उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास** जैसी पिछली योजनाओं के संशोधित संस्करण शामिल किये गए हैं।
    - इसके अतिरिक्त, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये **राष्ट्रीय शिशु गृह योजना** और ICDS के अंतर्गत **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** जैसी मौजूदा योजनाओं को अब सामर्थ्य में शामिल कर लिया गया है।
  - **सामर्थ्य योजना** में आर्थिक सशक्तिकरण के लिये गैप फंडिंग का एक नया घटक भी जोड़ा गया है।

नोट :

उत्तर प्रदेश में नवमी पर सार्वजनिक अवकाश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने **हिंदू परंपराओं में महत्त्वपूर्ण दिन** नवमी के अवसर पर **11 अक्तूबर, 2024** को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

- नवमी को **'कन्या भोज'** और हवन (पवित्र अग्नि समारोह) जैसे अनुष्ठानों के साथ नवरात्रि का समापन होता है।
- हिंदू कैलेंडर में, नवमी चंद्र पखवाड़े (पक्ष) का नौवाँ दिन है। प्रत्येक महीने में दो नवमी होती हैं, एक **"उज्ज्वल" (शुक्ल)** पखवाड़े के नौवें दिन और एक **"अंधकार" (कृष्ण)** पखवाड़े के नौवें दिन।
- हिंदू धर्म में नवमी दो त्योहारों से भी जुड़ी हुई है।
- **महा नवमी:** शरद नवरात्रि का नौवाँ दिन, **महानवमी** उस दिन की याद में मनाया जाता है जब देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को हराया था। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
- **रामनवमी:** भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाने वाला त्योहार।

भारत में कैलेंडर का वर्गीकरण

कैलेंडर	प्रकार	वर्ष	शुरुआत	प्रमुख विशेषताएँ
विक्रम संवत	हिंदू चंद्र कैलेंडर	57 ई.पू.	शकों पर विजय के बाद राजा विक्रमादित्य द्वारा प्रस्तुत	चंद्र आधारित; 12 माह, 354 दिन; शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष में विभाजित; कुछ वर्षों में 13वाँ माह (अधिक मास)।
शक संवत	हिंदू सौर कैलेंडर	78 ई.	कुषाणों को पराजित करने के बाद शक शासकों द्वारा शुरू किया गया	सौर-आधारित; वर्ष 1957 में भारत के आधिकारिक कैलेंडर के रूप में अपनाया गया; प्रत्येक वर्ष 365 दिन का होता है।

नोट :

हिजरी कैलेंडर	इस्लामी चंद्र कैलेंडर	622 ई.	सऊदी अरब से शुरू	चन्द्र आधारित; 12 महीने जिसमें 354 दिन होते हैं; 9वाँ महीना, रमज़ान, उपवास के लिये रखा जाता है।
जॉर्जियाई कैलेंडर	वैज्ञानिक सौर कैलेंडर	1582 ई.	पोप ग्रेगरी XIII द्वारा प्रस्तुत	सौर-आधारित; जूलियन कैलेंडर का स्थान लिया; वर्तमान प्रयोग में आने वाला नागरिक कैलेंडर; 365 दिन, लीप वर्ष के साथ 365.25 दिन।

उत्तर प्रदेश सरकार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर यात्रियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाएगी

चर्चा में क्यों ?

दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति के उत्तर में, उत्तर प्रदेश सरकार **सड़क सुरक्षा** में सुधार के लिये यात्री परिवहन के लिये ट्रैक्टर ट्रॉलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रही है।

Safety first

In 2021, road traffic injuries were the 13th leading cause of death in India and the 12th leading cause of health loss.

Percentage of road traffic deaths by victims mode of transport in six States

	Chhattisgarh	Chandigarh	Delhi	Haryana	Maharashtra	Uttarakhand
Pedestrian	19	23	44	29	24	28
Bicycle	4	13	3	3	1	3
Motorised two-wheeler	58	51	40	47	58	48
Motorised three-wheeler	1	7	4	3	1	3
Car	4	4	5	8	6	7
Bus	1	1	0	1	1	4
Truck	5	1	2	5	5	4
Farm tractor	6	0	0	2	2	0
Others	0	1	1	1	2	1
Unknown	0	1	1	0	0	1
Total (%)	100	100	100	100	100	100

Percentage of road traffic deaths by type of impacting vehicle in six States

	Chhattisgarh	Chandigarh	Delhi	Haryana	Maharashtra	Uttarakhand
Bicycle	0	0	1	0	1	0
Motorised two-wheeler	13	11	6	10	14	10
Motorised three-wheeler	0	7	2	1	0	1
Car	7	36	14	25	14	21
Bus	3	5	6	4	4	7
Truck	24	12	18	32	27	28
Farm tractor	5	1	1	7	4	6
Others	11	12	5	1	5	2
None	16	9	3	2	16	5
Unknown	18	9	45	17	15	21
Total (%)	100	100	100	100	100	100

नोट :

मुख्य बिंदु

- **ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिबंध पर सख्त प्रवर्तन:** उत्तर प्रदेश सरकार ने कई दुर्घटनाओं के बाद यात्री परिवहन के लिये ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर प्रतिबंध लागू करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।
- **ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर ग्रामीण निर्भरता:** यात्रियों के उपयोग के लिये प्रतिबंधित होने के बावजूद, किफायती और सुलभ होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का आमतौर पर उपयोग किया जाता है।
- **जन जागरूकता अभियान:** सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में **जागरूकता अभियान** शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें सुविधा की अपेक्षा सुरक्षा के महत्त्व पर ज़ोर दिया जाएगा।
- **नियोजित सुरक्षा उपाय:** जनता को शिक्षित करने और **सुरक्षित परिवहन विकल्पों** को बढ़ावा देने के लिये पोस्टर और संदेश (Messaging) अभियान का उपयोग किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश ने ग्रैंड प्रिक्स से स्ट्रीट रेस को समाप्त कर दिया

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए **बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स** के लिये प्रस्तावित स्ट्रीट रेस को रद्द करने में हस्तक्षेप किया है।

- **ग्रैंड प्रिक्स** एक प्रमुख मोटरस्पोर्ट इवेंट है **जो फार्मूला वन (F1) विश्व चैंपियनशिप के** साथ-साथ अन्य रेसिंग शृंखलाओं का भी हिस्सा है ।

मुख्य बिंदु

- **सरकार ने आयोजन में परिवर्तन का नियंत्रण अपने हाथ में लिया:** उत्तर प्रदेश सरकार ने **इंडियन ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित एक बड़े परिवर्तन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है तथा** इसमें स्ट्रीट रेस तत्त्व को शामिल करने के विचार को रद्द कर दिया है।
- **स्ट्रीट रेस का प्रस्ताव रद्द:** **मोटोजीपी (MotoGP)** इवेंट में स्ट्रीट रेस तत्त्व को शामिल करने की प्रारंभिक योजना को आधिकारिक तौर पर दरकिनार कर दिया गया है और अधिक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
- **सुरक्षा और रसद (लॉजिस्टिक्स) पर ध्यान:** यह निर्णय दर्शकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने, कार्यक्रम की **रसद (लॉजिस्टिक्स) को सुव्यवस्थित करने और संभावित व्यवधानों को कम करने** की राज्य सरकार की रणनीति के अनुरूप है ।
- **बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के प्रति प्रतिबद्धता:** सरकार का यह कदम **बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट** पर रेस को बनाए रखने पर ज़ोर देता है , जिसके पास मोटोजीपी प्रतियोगिता की मेज़बानी के लिये दीर्घकालिक अनुबंध है।
- **कार्यकुशलता के लिये संचालन को केंद्रीकृत करना:** सड़क दौड़ को समाप्त करके, अधिकारियों का लक्ष्य एक सुचारू आयोजन का लक्ष्य है, जिससे **शहरी दौड़ से जुड़ी तार्किक चुनौतियों और जोखिमों से बचा जा सके।**
- **अंतर्राष्ट्रीय खेल उपस्थिति को सुदृढ़ बनाना:** यह कदम अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेज़बानी में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, तथा वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिये एक सक्षम और विश्वसनीय स्थल के रूप में इसकी छवि को मजबूत करता है।
- **मोटोजीपी आयोजकों की अपेक्षाओं के अनुरूप:** यह निर्णय प्रतिभागियों और दर्शकों की सुरक्षा के लिये मोटोजीपी आयोजकों के मानकों का भी समर्थन करता है तथा **उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम प्रबंधन** को सुनिश्चित करता है।

नोट :

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट

- बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एक मोटर रेसिंग ट्रैक है जो जेपी स्पोर्ट्स सिटी, **ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है** , जो इसके स्थान के ज़िले के समान है।
- इस ट्रैक का आधिकारिक उद्घाटन 18 अक्तूबर, 2011 को हुआ।

खाद्य सुरक्षा और संदूषण पर उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में **खाद्य संदूषण** और खाद्य उद्योग में असामाजिक गतिविधियों पर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिये दो **अध्यादेशों** का प्रस्ताव किया है, जो मानव अपशिष्ट द्वारा संदूषण से संबंधित घटनाओं की एक शृंखला से प्रेरित हैं।

मुख्य बिंदु

- **नये खाद्य अध्यादेश :**
  - **छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकना निषेध अध्यादेश 2024।**
  - **उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण निवारण (उपभोक्ता को जानने का अधिकार) अध्यादेश 2024।**
  - ये अध्यादेश थूकने या मानव अपशिष्ट को **खाद्य पदार्थ में मिलाने** से होने वाले **संदूषण** को **संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध बनाने के लिये बनाए गए हैं।**
- **"असामाजिक तत्त्वों" और "अवैध नागरिकों" से निपटने के लिये अध्यादेश:**
  - अध्यादेशों में उन खाद्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के प्रावधान शामिल होंगे, जिनके "**अवैध विदेशी नागरिक**" **होने की पुष्टि हो गई है।**

नोट :

- इस कदम का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को बाहर निकालना है जो खाद्य पदार्थों को दूषित करने या अन्य **असामाजिक गतिविधियों** में संलग्न होने के लिये अपनी पहचान छिपाते हैं।

- **खाद्य प्रतिष्ठानों पर नाम और पहचान प्रदर्शित करना अनिवार्य:**
  - पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिये मालिकों और प्रबंधकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है।
  - इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान **पहचान-पत्र पहनना होगा।**
  - इस उपाय का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना और व्यक्तियों को अपनी पहचान छिपाने से रोकना है।
- **CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य :**
  - सभी भोजनालयों और खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने रसोईघरों और भोजन क्षेत्रों में **CCTV कैमरे लगाना** अनिवार्य होगा।
  - फुटेज को कम से कम एक महीने तक रखा जाना चाहिये तथा आवश्यकता पड़ने पर ज़िला प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
  - इससे संदूषण को रोकने के लिये भोजन की तैयारी और सेवा की निगरानी करने में सहायता मिलेगी।
- **उपभोक्ताओं के लिये सूचना का अधिकार :**
  - प्रत्येक उपभोक्ता को अपने द्वारा उपभोग किये जाने वाले भोजन तथा उसे तैयार करने वाले प्रतिष्ठान के बारे में **आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।**
  - अध्यादेश यह सुनिश्चित करते हैं कि विक्रेता स्पष्ट साइनबोर्ड प्रदर्शित करें तथा गलत नाम या छद्मनाम का प्रयोग न करें तथा किसी भी उल्लंघन के लिये उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाए।
- **अध्यादेश के लिये कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया:**
  - **विधायी उपकरण के रूप में अध्यादेश:**
    - अध्यादेश एक अस्थायी कानून है जिसे कार्यपालिका (राज्य स्तर पर **राज्यपाल**) द्वारा तब लागू किया जाता है जब विधायिका सत्र में नहीं होती है।
    - यह राज्यों के लिये **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213** के तहत जारी किया जाता है , जो राज्यपाल को आपातकालीन स्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है।
- **अनुमोदन और निरंतरता:**
  - एक बार अध्यादेश जारी हो जाने के बाद, उसे राज्य विधानमंडल के पुन: अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
  - यदि अगले सत्र के प्रारंभ से छह सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:**
  - अध्यादेश को **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)** के तहत **तर्कसंगतता** और **सार्वजनिक हित** के सिद्धांतों का पालन करना होगा ।
  - यदि किसी अध्यादेश को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला या कार्यपालिका के संवैधानिक अधिकारों के दायरे से बाहर पाया जाता है, तो न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया उपलब्ध है।

PM वाराणसी में खेल सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी **वाराणसी** में नई खेल सुविधाओं का उद्घाटन करने वाले हैं , जिससे एथलीटों के लिये अवसर बढ़ेंगे।

नोट :

मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के डॉ. संपूर्णानंद स्टेडियम में **राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र** के चरण 2 और 3 का उद्घाटन करेंगे।
  - इस उन्नयन पर **325.65 करोड़ रुपए की लागत आई है**, जिससे 20 से अधिक खेल विधाओं के लिये बुनियादी ढाँचे में सुधार हुआ है।
  - इस परिसर में बहु-स्तरीय कोर्ट, स्विमिंग पूल, एथलेटिक ट्रैक और इनडोर/आउटडोर खेल, **पैरा-स्पोर्ट्स** और रिकवरी ज़ोन के लिये स्थान शामिल हैं।
  - प्रधानमंत्री मोदी **1,000 करोड़ रुपए** से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।

वाराणसी

- वाराणसी दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य में है। यह **गंगा नदी** के बाएँ किनारे पर स्थित है और हिंदू धर्म के सात पवित्र शहरों में से एक है।
- यह विश्व के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। इसका प्रारंभिक इतिहास मध्य **गंगा घाटी** में पहली आर्य बस्ती से जुड़ा है।
- बुद्ध के समय (छठी शताब्दी ईसा पूर्व) वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी, जिन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ के पास ही दिया था।
- यह शहर **धार्मिक, शैक्षिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बना रहा, जैसा कि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग (Xuanzang) द्वारा प्रमाणित किया गया है,** जिन्होंने लगभग 635 ई. में यहाँ का दौरा किया था।
- 1194 से शुरू हुए तीन शताब्दियों के मुस्लिम कब्ज़े के दौरान वाराणसी का पतन हो गया।
- 18वीं शताब्दी में वाराणसी एक स्वतंत्र राज्य बन गया और बाद में ब्रिटिश शासन के तहत यह एक वाणिज्यिक और धार्मिक केंद्र बना रहा।
- 1910 में, अंग्रेज़ों ने वाराणसी को एक नया भारतीय राज्य बनाया, जिसका **मुख्यालय रामनगर (विपरीत तट पर) था, लेकिन वाराणसी शहर पर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।**

काशी स्वास्थ्य सेवा के बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वाराणसी की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने **आर.जे. शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया।**

काशी, जिसे पारंपरिक रूप से धर्म और आध्यात्म के केंद्र के रूप में जाना जाता है, **अब एक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में भी उभर रहा है।** अस्पताल की स्थापना आधुनिक स्वास्थ्य सेवा एवं आध्यात्मिक विरासत के सम्मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है।

मुख्य बिंदु

- नवनिर्मित अस्पताल में **आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के रोगियों के लिये** प्रतिवर्ष 30,000 **नि:शुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा की जाएगी,** जिसमें क्रॉस-सब्सिडी मॉडल का पालन किया जाएगा, जिसके तहत 75% शल्य चिकित्सा नि:शुल्क होगी तथा भुगतान करने वाले रोगियों से प्राप्त राजस्व से इसका वित्तपोषण किया जाएगा, जो लाभार्थियों का 25% है।
- यह सुविधा बुजुर्गों, बच्चों और **पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 ज़िलों के लोगों** के साथ-साथ बिहार, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ जैसे आसपास के राज्यों के निवासियों की नेत्र देखभाल की जरूरतों को पूरा करेगी।
- **अन्य शुरू की गई परियोजनाएँ:**
  - प्रधानमंत्री की वाराणसी यात्रा में विभिन्न हवाईअड्डा परियोजनाओं सहित **6,700 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विभिन्न विकास पहलों का शुभारंभ** शामिल था।
  - लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, उन्होंने ₹2,870 करोड़ की अनुमानित लागत से **रनवे के विस्तार, एक नए टर्मिनल भवन और संबंधित बुनियादी ढाँचे की आधारशिला रखी।**

नोट:

- **काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है।**
- वाराणसी शहर को **काशी** भी कहा जाता है, और इसलिये मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है।

नोट :

- यह मंदिर **पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है** और यह बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो सबसे पवित्र शिवमंदिर है।
- मुख्य देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है "ब्रह्मांड का शासक"।

न्यू नोएडा विकास योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने **वर्ष 2041** तक आवासीय, औद्योगिक और **लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे** को बढ़ावा देने के लिये **न्यू नोएडा सिटी** के विकास को मंजूरी दी।

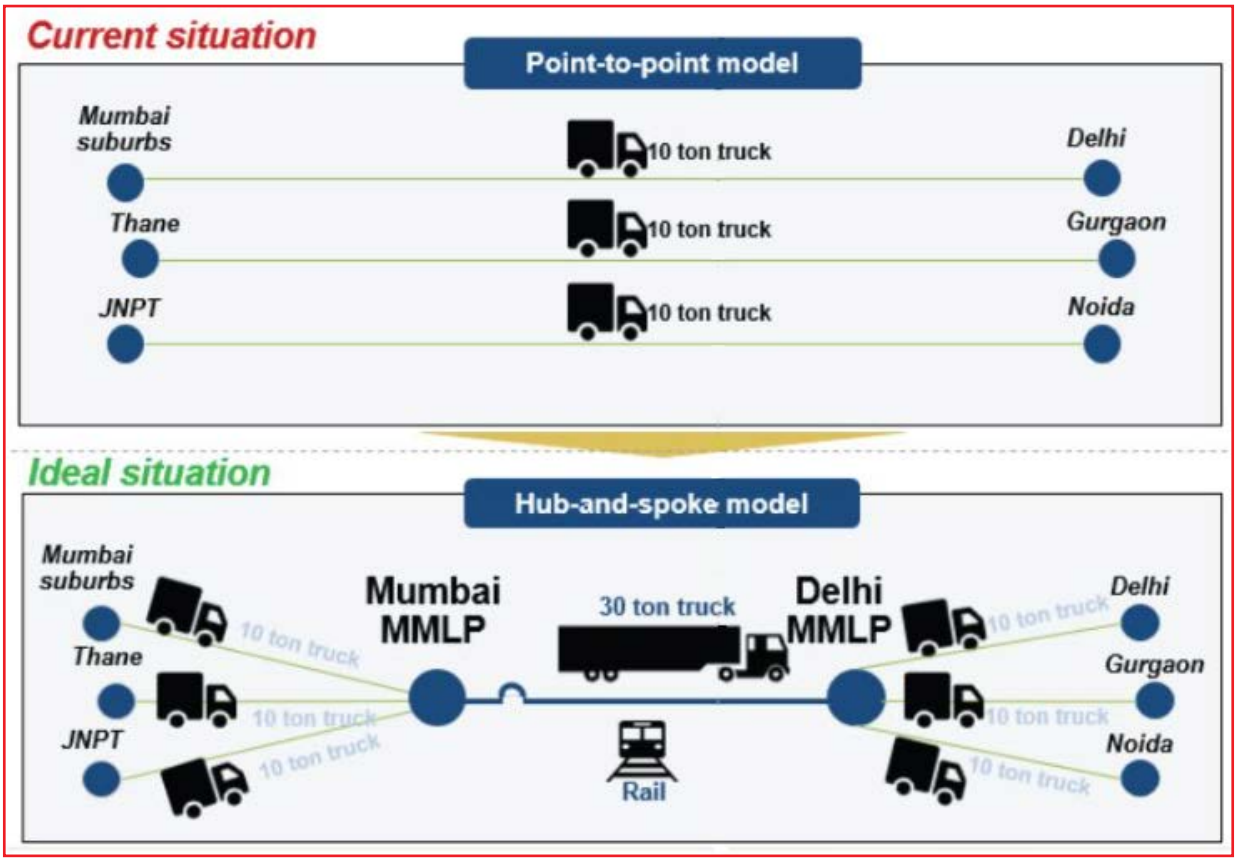

प्रमुख बिंदु

- **जगह:**
  - 209.11 वर्ग किमी में फैला, **गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर ज़िलों** के 84 गाँवों को कवर करता है।
- **विशेषताएँ:**
  - आवासीय वितरण को संतुलित करना और भविष्य के विकास के साथ संरेखित करना।
  - सभी श्रेणियों, विशेषकर औद्योगिक श्रमिकों के लिये किफायती आवास।
  - औद्योगिक केंद्र, **मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) और लॉजिस्टिक्स हब (MMLH)**।
- **चरणबद्ध विकास:**
  - **चरण 1 (2024-2028): 1,432 हेक्टेयर क्षेत्र** में मुख्य सड़कों का विकास किया जाएगा।

नोट :

- **चरण 2 (2028-2034):** उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित; 3,136 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास।
- **चरण 3 (2033-2039):** वाणिज्यिक और औद्योगिक स्थान; 5,908 हेक्टेयर का विकास।
- **चरण 4 (2037-2043):** औद्योगिक, सार्वजनिक स्थानों और आवासीय क्षेत्रों को अंतिम रूप देना।

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)

- **परिचय:**
  - **'हब एंड स्पोक' मॉडल** के तहत विकसित MMLP राजमार्गों, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करेगा।
  - **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परियोजना** विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिये बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक वेयरहाउसिंग सुविधाओं को विकसित करने के लिये तथा वेयरहाउसिंग, कस्टम क्लीयरेंस, पार्किंग, ट्रक के रखरखाव जैसी कार्गो आवाजाही से संबंधित सभी सेवाओं के लिये वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने की ओर अग्रसर है।
    - इसमें **गोदाम, रेलवे साइडिंग, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लीयरेंस हाउस, यार्ड सुविधा, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, प्रशासनिक भवन, बोर्डिंग लॉजिंग, ईटिंग जॉइंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट** आदि सभी सुविधाएँ होंगी।
- **कार्य:**
  - MMLP अत्याधुनिक माल प्रबंधन प्रणाली के लिये **प्रौद्योगिकी आधारित कार्यान्वयन** पर ध्यान केंद्रित करेगा।
    - इन परियोजनाओं में पैकेजिंग, रीपैकेजिंग और लेबलिंग जैसी विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाएँ उपलब्ध होंगी।
  - MMLP अन्य संबद्ध सुविधाओं के साथ **मशीनीकृत सामग्री हैंडलिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं के लिये माल ढुलाई की सुविधा** होगी।

उत्तर प्रदेश में आर्थिक नेतृत्व की राह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, मुख्यमंत्री ने भारत की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में **उत्तर प्रदेश की तीव्र वृद्धि** पर प्रकाश डाला, जो बुनियादी ढाँचे, औद्योगिक और कृषि प्रगति से प्रेरित है।

प्रमुख बिंदु

- **GSDP वृद्धि :** UP का **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)** वित्त वर्ष 2025 तक 32 ट्रिलियन रुपए से अधिक होने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2024 में 26 ट्रिलियन रुपए था।
  - अपराध और भू-माफियाओं पर सरकार की कार्यवाही से **64,000 हेक्टेयर** भूमि को पुन: प्राप्त कर व्यवसाय के लिये स्थान बनाने में मदद मिली है।
  - सरकार ने **40 ट्रिलियन रुपए के FDI प्रस्तावों** और 15 मिलियन रोज़गार के अवसरों पर प्रकाश डाला।
- **पारंपरिक क्षेत्रों पर ध्यान :** **मुरादाबाद के पीतल, फिरोज़ाबाद के काँच और भदोही के कालीन** जैसे उद्योगों को समर्थन।
- **कारोबार में आसानी :** **EODB** में UP **दूसरे** स्थान पर, वर्ष 2017 में **14 वें** स्थान से सुधार।
  - वर्ष 2017 से UP का वार्षिक बजट **2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 7.5 ट्रिलियन रुपए** हो गया।
  - **1.5 ट्रिलियन रुपए** मूल्य की बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ चल रही हैं।
- **पर्यटन को बढ़ावा :** **अयोध्या, वाराणसी** और मथुरा जैसे सांस्कृतिक स्थल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
- **बुनियादी ढाँचा विकास :** भारत के आधे **एक्सप्रेसवे** और 21 वायुई अड्डे उत्तर प्रदेश में हैं।
- **स्टार्टअप इकोसिस्टम :** **'निवेश मित्र' प्लेटफॉर्म** निवेश को सुव्यवस्थित करता है, MSME और स्टार्टअप को समर्थन देता है।
- **कृषि और ग्रामीण विकास :** **नाबार्ड** ने 1 ट्रिलियन रुपए का वित्त पोषण उपलब्ध कराया है और लगभग 10,000 **किसान उत्पादक संगठन (FPO)** कार्यरत हैं।

नोट :

किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organizations- FPO)

- FPO स्वैच्छिक संगठन हैं जो अपने **किसान-सदस्यों** द्वारा नियंत्रित होते हैं और अपनी नीतियों को निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
- वे उन सभी व्यक्तियों के लिये खुले हैं जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं और **लैंगिक, सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक** या **धार्मिक भेदभाव** के बिना सदस्यता की ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं।
- FPO संचालक अपने किसान-सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे अपने FPO के विकास में प्रभावी योगदान दे सकें।
- गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में FPO ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं और वे अपनी उपज पर अधिक लाभ प्राप्त करने में सफल रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, राजस्थान के पाली ज़िले में आदिवासी महिलाओं ने एक उत्पादक कंपनी बनाई और उन्हें शरीफा के लिये अधिक कीमत मिल रही है।

ग्रीन अयोध्या फंड पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अयोध्या ने धारणीय **शहरी विकास** और पर्यावरण संरक्षण के लिये **ग्रीन अयोध्या फंड** की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- **उद्देश्य:**
  - यह टिकाऊ शहरी परिदृश्यों के लिये पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ सरेखित करते हुए **अपशिष्ट प्रबंधन**, **नवीकरणीय ऊर्जा**, शहरी हरियाली और **प्रदूषण में कमी** से संबंधित परियोजनाओं का समर्थन करता है।
  - इस कोष का उद्देश्य **पर्यावरण अनुकूल** पहल, धारणीय शहरी नियोजन और हरित अयोध्या के निर्माण के लिये संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है।
- **सार्वजनिक भागीदारी:**
  - यह निधि सामुदायिक भागीदारी और पहलों के समर्थन हेतु दान को प्रोत्साहित करती है, तथा **पर्यावरण संरक्षण** में साझा ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है ।

राम मंदिर

- **पारंपरिक वास्तुकला और निर्माण:**
  - यह एक 3 मंजिला मंदिर है, जो पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है, जो मिर्ज़ापुर और बंसी-पहाड़पुर (राजस्थान) की पहाड़ियों के गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है।
  - मंदिर 71 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और अपनी वास्तुकला का अद्भुत नमूना पेश करता है।
- **मंदिर का आयाम:**
  - 250 फीट चौड़ाई और 161 फीट ऊँचाई वाला मुख्य मंदिर क्षेत्र 2.67 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 390 स्तंभ, 46 द्वार और 5 मंडप हैं।
- **अंदर की अनूठी विशेषताएं:**
  - मुख्य गर्भ गृह में राम लला की मूर्तियाँ हैं, साथ ही रंग मंडप और नृत्य मंडप सहित कई मंडप हैं।
- **अभिनव अभिषेक परंपरा:**
  - प्रत्येक रामनवमी पर दोपहर के समय, दर्पण और लेंस की एक प्रणाली रामलला की मूर्ति पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करेगी। इस अनोखे अभिषेक के लिये विद्युत् की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि लोहे या स्टील के बजाय पीतल का उपयोग किया जाता है।

नोट :

- **मूर्तिकार का योगदान:**
  - मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा निर्मित पाँच वर्षीय रामलला की मूर्ति 51 इंच की है और एक विशेष समारोह में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई।
- **स्थायित्व और प्रतीकात्मकता:**
  - मंदिर के निर्माण में लौह धातु का उपयोग नहीं किया गया है, और ऐसा माना जाता था कि यह कम से कम एक सहस्राब्दी तक बना रहेगा।

अयोध्या दीपोत्सव 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **मुख्यमंत्री** के मार्गदर्शन में **अयोध्या में 8 वें दीपोत्सव** की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं ताकि इस वर्ष का आयोजन सबसे भव्य हो सके।

प्रमुख बिंदु

- **भगवान राम के जीवन** के महत्त्वपूर्ण क्षणों को दर्शाती कुल **18 झांकियाँ** प्रदर्शित की जाएंगी, जो **अयोध्या की गहरी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक** होंगी।
- **उनके विवाह, वनवास** और **रावण पर विजय** जैसी प्रमुख घटनाओं को दर्शाया जाएगा।
- **सूचना विभाग** 11 झांकियाँ बना रहा है, जबकि **पर्यटन विभाग** सात झांकियाँ तैयार कर रहा है, जो **राम चरित मानस** के सात अध्यायों, जैसे **बाल कांड और लंका कांड** पर केंद्रित होंगी।
- अयोध्या को व्यापक रूप से रोशन किया जाएगा, जिसमें विविध प्रकाश व्यवस्था शहर के उत्सव के माहौल को बढ़ाएगी।

रामलीला (उत्तर भारत)

- रामलीला, जिसका शाब्दिक अर्थ है "**राम का नाटक**", **रामायण महाकाव्य** का एक प्रदर्शन है जिसमें कई दृश्य शामिल होते हैं जिनमें गीत, वर्णन, गायन और संवाद शामिल होते हैं।
- यह राम और रावण के बीच युद्ध का स्मरण कराता है तथा इसमें देवताओं, ऋषियों और श्रद्धालुओं के बीच संवादों की एक शृंखला शामिल है।
- यह नृत्य **दशहरा** के त्यौहार के दौरान पूरे उत्तर भारत में किया जाता है ।
- सर्वाधिक प्रतिनिधिक रामलीलाएँ **अयोध्या**, रामनगर और **बनारस , वृंदावन**, अल्मोडा, सतना और **मधुबनी** की हैं।
- रामायण का यह मंचन **रामचरितमानस** पर आधारित है जिसकी रचना **तुलसीदास** ने 16वीं शताब्दी में की थी।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :